भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोकसभा
अतारांकित प्रश्न सं.340
दिनांक 05 दिसम्बर, 2023 को उत्तरार्थ

विषय: प्रमुख कृषि योजनायें

340. श्री सी.आर. पाटिल:

क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान शुरू की गई प्रमुख कृषि योजनाओं के सफल कार्यान्वयन के संबंध में व्यापक अद्यतन जानकारी क्या है;

(ख) सफलता की ऐसी कौन-कौन सी मिसालें हैं जहां सरकार द्वारा प्रौद्योगिकी संबंधी हस्तक्षेपों से छोटे किसानों को काफी लाभ हुआ है; और

(ग) अप्रत्याशित परिस्थितियों से किसानों की रक्षा करने के लिए कार्यान्वित की गई बीमा योजनाओं और सुरक्षा नेट का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)

(क) एवं (ग) कृषि राज्य का विषय है। तथापि, भारत सरकार देश में किसानों के कल्याण के लिए व्यापक योजनाएँ और कार्यक्रम को कार्यान्वित कर रही है। इन योजनाओं में ऋण, बीमा, आय सहायता, अवसंरचना, बागवानी सहित फसलें, बीज, यंत्रीकरण, विपणन, जैविक और प्राकृतिक खेती, किसान समूह, सिंचाई, विस्तार, न्यूनतम समर्थन मूल्यों पर किसानों से फसलों की खरीद, डिजिटल कृषि आदि सहित संपूर्ण स्पेक्ट्रम को शामिल किया गया है जिसका विवरण **अनुबंध-I** में दिया गया है। पीएमएफबीवाई जैसी कुछ योजनाओं जिन्हें पात्रता आधारित योजना कहा जाता है, का लाभ केवल किसानों को दिया जा सकता है, यदि संबंधित राज्य सरकार इस योजना को कार्यान्वित करने के लिए सहमत हो।

(ख) कुछ सफलता की कहानियाँ जहां सरकार द्वारा प्रौद्योगिकी कार्यकलापों से छोटे किसानों को काफी लाभ हुआ को **अनुबंध- II** में दिया गया है।

लो.सं.अता.प्र.सं.340

अनुबंध-I

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा हाल ही में शुरू की गई प्रमुख योजनाओं/पहलों का संक्षिप्त

क्र.सं.	योजना	संक्षिप्त विवरण
1.	प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान)	पीएम-किसान एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, जो अपवर्जन के अध्यधीन भूमि धारक किसानों की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए 24 फरवरी 2019 को शुरू की गई थी। योजना के तहत प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) मोड के माध्यम से, देश भर के किसान परिवारों के बैंक खातों में प्रति वर्ष 6000/- रुपये का वित्तीय लाभ तीन समान चौ-मासिक किस्तों में अंतरित किया जाता है। अब तक लगभग 11 करोड़ से अधिक लाभार्थियों (किसानों) को विभिन्न किस्तों द्वारा से 2.81 लाख करोड़ रुपये प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से अंतरित किए गए हैं।
2.	प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना (पीएम-केएमवाई)	सबसे कमजोर किसान परिवारों को वित्तीय सहायता और सुरक्षा प्रदान करने के लिए, सरकार ने छोटे और सीमांत किसानों को पेंशन लाभ प्रदान करने के लिए दिनांक 12.09.2019 से प्रधान मंत्री किसान मानधन योजना शुरू की। पीएम-केएमवाई छोटे और सीमांत किसानों के लिए है, जिनकी प्रवेश आयु 18 से 40 वर्ष के बीच है, जिनके पास 2 हेक्टेयर तक खेती योग्य भूमि है। इस योजना का उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद 3,000/- रुपये मासिक पेंशन प्रदान करना है। अब तक योजना के तहत नामांकित किसानों की कुल संख्या 23.38 लाख है।
3.	प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई)	पीएमएफबीवाई को वर्ष 2016 में एक सरल और किफायती फसल बीमा उत्पाद प्रदान करने के लिए आरंभ किया गया था ताकि किसानों को फसलों के लिए बुआई पूर्व से लेकर फसलोपरांत तक सभी गैर-निर्वाय प्राकृतिक जोखिमों के विरूद्ध व्यापक जोखिम कवर सुनिश्चित किया जा सके और पर्याप्त दावा राशि प्रदान किया जा सके। यह योजना मांग आधारित है और सभी किसानों के लिए उपलब्ध है। वर्ष 2016-17 से योजना के तहत कुल 5549.40 लाख किसान आवेदनों का बीमा किया गया था। दावे के तौर पर कुल 150589.10 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है.
4.	ब्याज छूट योजना (आईएसएस) और किसान क्रेडिट कार्ड संतृप्ति अभियान	ब्याज छूट योजना (आईएसएस) खेती और पशुपालन, डेयरी और मात्स्यिकी जैसी अन्य संबद्ध गतिविधियों का अभ्यास करने वाले किसानों को रियायती अल्पकालिक कृषि ऋण प्रदान करती है। आईएसएस एक वर्ष के लिए 7% प्रति वर्ष की ब्याज दर पर 3.00 लाख रुपये तक के अल्पकालिक फसल ऋण का लाभ उठाने वाले

		किसानों के लिए उपलब्ध है। किसानों को शीघ्र और समय पर ऋण चुकाने के लिए अतिरिक्त 3% की छूट भी दी जाती है, जिससे ब्याज की प्रभावी दर घटकर 4% प्रति वर्ष हो जाती है। आईएसएस का लाभ प्रकृति की आपदाओं और गंभीर प्राकृतिक आपदाओं के घटित होने पर किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) वाले छोटे और सीमांत किसानों को छह महीने की अतिरिक्त अवधि के लिए प्राप्त गोदाम रसीदों (एनडब्ल्यूआर) के आधार पर फसलोपरांत ऋण के लिए भी उपलब्ध है। वर्ष 2020 में घोषित केसीसी संतृप्ति अभियान के तहत 20-10-2023 तक, अभियान के भाग के रूप में 5,47,819 करोड़ रुपये की संस्वीकृत क्रेडिट सीमा के साथ 482.73 लाख नए केसीसी आवेदन संस्वीकृत किए गए हैं।
5.	10,000 किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) का गठन और संवर्धन	भारत सरकार ने वर्ष 2020 में "10,000 किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) के गठन और संवर्धन" के लिए केंद्रीय क्षेत्र योजना (सीएसएस) शुरू की है। एफपीओ का गठन और संवर्धन कार्यान्वयन एजेंसियों (आईए) के माध्यम से किया जाना है, जो आगे स्थायी आधार पर बेहतर विपणन अवसरों और बाजार संबंधों को सुनिश्चित करने के लिए संबंधित एफपीओ के लिए व्यवसाय योजना की तैयारी और निष्पादन सहित 05 वर्षों की अवधि के लिए एफपीओ को पेशेवर हैंडहोल्डिंग सहायता प्रदान करने के लिए क्लस्टर आधारित व्यावसायिक संगठनों (सीबीबीओ) को जोड़ता है। दिनांक 31.10.2023 तक, देश में योजना के तहत कुल 7476 एफपीओ पंजीकृत थे।
6.	कृषि अवसंरचना कोष (एआईएफ)	मौजूदा अवसंरचना की कमियों को दूर करने और कृषि अवसंरचना में निवेश जुटाने के लिए, वर्ष 2020 में आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत 1 लाख करोड़ रुपये का कृषि अवसंरचना कोष (फंड) लॉन्च किया गया था। कृषि अवसंरचना कोष (फंड) व्यवहार्य परियोजनाओं में निवेश के लिए एक मध्यम-दीर्घकालिक ऋण वित्तपोषण सुविधा है जो ब्याज छूट और क्रेडिट गारंटी सहायता के माध्यम से फसलोपरांत अवसंरचना और सामुदायिक खेती की संपत्तियों का प्रबंधन करता है। एआईएफ के तहत दिनांक 17.11.2023 तक 42,447 परियोजनाओं के लिए 32,042 करोड़ रुपये संस्वीकृत किए गए हैं, इस कुल संस्वीकृत राशि में से 25,504 करोड़ रुपये की राशि के लिए योजना का लाभ दिया गया है। इन संस्वीकृत परियोजनाओं ने कृषि क्षेत्र में 54,487 करोड़ रुपये का निवेश जुटाया है।
7.	राष्ट्रीय खाद्य तेल- ऑयल पाम मिशन (एनएमईओ-ओपी)	पूर्वोत्तर राज्य और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह पर विशेष ध्यान देने के साथ देश को खाद्य तेलों के मामले

		में आत्मनिर्भर बनाने के लिए ऑयल पाम की खेती को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन (एनएमईओ)-ऑयल पाम (एनएमईओ-ओपी) नाम से एक नई केंद्र प्रायोजित योजना शुरू की गई है। मिशन वर्ष 2021-22 से वर्ष 2025-26 तक अगले 5 वर्षों में पूर्वोत्तर राज्यों में 3.28 लाख हेक्टेयर और शेष भारत में 3.22 के साथ ऑयल पाम वृक्षारोपण के तहत 6.5 लाख हेक्टेयर का अतिरिक्त शामिल करेगा।
8.	राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन (एनबीएचएम)	मधुमक्खी पालन के महत्व को ध्यान में रखते हुए, वैज्ञानिक मधुमक्खी पालन के समग्र प्रचार और विकास एवं "मीठी क्रांति" के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्षेत्र में इसके कार्यान्वयन के लिए आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत वर्ष 2020 में राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन (एनबीएचएम) नामक एक नई केंद्रीय क्षेत्र योजना शुरू की गई थी।
9.	राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन (एनएमएनएफ)	सरकार परंपरागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई) के तहत एक उप-योजना "भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति - (बीपीकेपी)" के माध्यम से वर्ष 2019-20 से प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे रही है। बीपीकेपी के तहत 8 राज्यों में 4.09 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को कवर किया गया है
10.	न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी)	सरकार ने एमएस स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के आधार पर 2018 में नई एमएसपी नीति अपनाई। सरकार ने वर्ष 2018-19 से सभी अनिवार्य खरीफ, रबी और अन्य वाणिज्यिक फसलों के लिए अखिल भारतीय भारित औसत उत्पादन लागत पर कम से कम 50 प्रतिशत रिटर्न के साथ एमएसपी में वृद्धि की है। धान (सामान्य) के लिए एमएसपी वर्ष 2013-14 में 1310 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़कर वर्ष 2023-24 में 2183 रुपये प्रति क्विंटल हो गया है। गेहूं का एमएसपी वर्ष 2013-14 में 1400 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़कर वर्ष 2022-23 में 2125 रुपये प्रति क्विंटल हो गया।
11.	अंतर्राष्ट्रीय मिलेट (श्री अन्न) वर्ष	2021 में यूएनजीए द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मिलेट (श्री अन्न) वर्ष (आईवाईएम) 2023 की घोषणा के बाद से, सरकार ने आईवाईएम 2023 के लक्ष्य को प्राप्त करने और भारतीय मिलेट (श्री अन्न) को वैश्विक स्तर पर ले जाने के लिए एक सक्रिय बहु हितधारक जुड़ाव दृष्टिकोण अपनाया है। मिलेट (श्री अन्न) मूल्य श्रृंखला में अंतराल और चुनौतियों की जांच करने और उपयुक्त समाधानों के कार्यान्वयन के लिए, 6 कार्यबलों का गठन किया गया था। साथ ही, देश में पोषक अनाजों की नवीनतम उन्नत किस्मों के गुणवत्तापूर्ण बीज की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 25 सीड-हब स्थापित किए गए हैं। मिलेट (श्री अन्न) मिशन ओडिशा, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, असम,

		कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश, गुजरात और राजस्थान सहित 13 राज्यों में शुरू किए गए हैं। 500 से अधिक स्टार्ट-अप और 350 एफपीओ स्थापित किए गए हैं और अब तक मिलेट (श्री अन्न) पारिस्थितिकी तंत्र में कार्यरत हैं।
12.	कृषि में ड्रोन प्रौद्योगिकी को बढ़ावा	कृषि में ड्रोन प्रौद्योगिकियों के अनूठे लाभों को देखते हुए, एक मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की गई है। इस प्रौद्योगिकी को किसानों और इस क्षेत्र के अन्य हितधारकों हेतु किफायती बनाने के लिए, किसानों के खेतों पर इसके प्रदर्शन के लिए आकस्मिक व्यय के साथ-साथ ड्रोन की 100% लागत की दर पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। किसान ड्रोन संवर्धन के लिए अब तक 138.82 करोड़ रुपये की राशि जारी की जा चुकी है।
13.	कृषिस्टार्टअप्स	आरकेवीवाई कृषि-स्टार्टअप्स कार्यक्रम के तहत, वर्ष 2019-20 से, 1259 स्टार्ट-अप्स का चयन किया गया है और इन स्टार्ट-अप्स को वित्त पोषित करने के लिए अनुदान सहायता के रूप में 83.67 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।
14	कृषिस्टैक	यह बेहतर योजना, निगरानी, नीति निर्माण, कार्यनीति निर्माण और योजनाओं के सुचारू कार्यान्वयन के लिए एक संघीय संरचना है। कृषिस्टैक आर्किटेक्चर में निम्नलिखित मूलभूत परतें हैं: - • कोर रजिस्ट्रियां • आधार डेटाबेस • किसान डेटाबेस: किसान आईडी भूमि रिकॉर्ड से जुड़ी हुई है • भूखंडों का भू-संदर्भ • फसल सर्वेक्षण, फसल योजना और • मृदा मानचित्रण, मृदा उर्वरता • राज्य के लिए एकीकृत किसान सेवा इंटरफ़ेस। • आंकडों का आदान प्रदान

लो.सं.अता.प्र.सं.340
अनुबंध-II

<u>सफलता की कहानियों पर एक संक्षिप्त जानकारी जहां सरकार द्वारा प्रौद्योगिकी कार्यकलापों से छोटे किसानों को काफी लाभ हुआ</u>

1.प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई)

नाम: श्री. रमेश मुरलीधर सनप
योग्यता: 10वीं पास
पता: ग्राम- खड़गांव, जिला- नासिक, महाराष्ट्र

श्री सनप पिछले 40 वर्षों से अपनी 14 हेक्टेयर भूमि पर खेती कर रहे हैं। उनके परिवार में 14 सदस्य हैं और सभी कृषि आय पर निर्भर हैं। वे मक्का, बाजरा (पर्ल मिलेट) और प्याज की फसल उगाते हैं। खरीफ 2019 सीज़न के दौरान बेमौसम बारिश के कारण उनकी प्याज की फसल खराब हो गई थी, क्योंकि उनकी फसल का बीमा पीएमएफबीवाई के तहत किया गया था, उन्हें प्याज की फसल के तहत बीमित 9.11 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए 4.76 लाख रूपए का मुआवजा प्राप्त हुआ।

2.परम्परागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई)

- किसान का नाम: सी.पुलैया
- शैक्षणिक योग्यता : 7 वीं कक्षा
- उम्र: 52
- गांव: उप्पलपाडु
- क्लस्टर: उय्यलवाड़ा
- मंडल: ओर्वाकल
- जिला: कुरनूल
- कुल भूमि सीमा: 2.50 एकड़
- फसलें: पीएमडीएस+बाजरा, मूंग, ज्वार

3. 10,000 किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) का गठन और संवर्धन

i. भुबन फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, ओडिशा।
ii. कृषि विकास शेतकारी प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, महाराष्ट्र।

4. समेकित बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच):

i. क्षेत्र विस्तार – हाइब्रिड सब्जियाँ (बैंगन)

कोयंबटूर जिले के किसान श्री बाराथ मगादेव ने बागवानी फसल के क्षेत्र विस्तार के लिए 20,000 रुपये की सब्सिडी प्राप्त की। खरपतवार की वृद्धि को कम करने के लिए प्लास्टिक मल्चिंग के साथ-साथ मानक खेती पद्धतियों का उपयोग करके, किसान अधिक उपज प्राप्त करने और खेत से अधिक लाभ प्राप्त करने में सक्षम था।

ii पॉली हाउस

किसान का नाम: चावोडारेड्डी, एम

स्थान: ग्राम गौडगेरे, जिला चिक्काबल्लापुरा, कर्नाटक

क्र. सं.	खेती की पद्धतियां	सामान्य अभ्यास द्वारा	प्रौद्योगिकी अपनाकर (विनिर्दिष्ट)
I.	खेती की कुल लागत	15,25000	23,25600
II.	उपज टन में	20	40
III.	लागत/टन (रु.)	30,00,000	40,00,000
IV.	उपज के विपणन की पद्धति	स्थानीय बाजार	बेंगलुरु और मुंबई के बाजारों में उपज की बिक्री
V.	शुद्ध आय (रु.)	6,00,000	15,00,000

5. कृषि यंत्रीकरण उप मिशन (एसएमएएम)

कर्नाटक के विजयपुरा जिले के इंडी तालुक के हट्टल्ली गांव के श्री महेश श्रीशैला मोसलगी एक शिक्षित बेरोजगार युवा थे। उन्होंने 2018-19 के दौरान एसएमएएम के तहत 40% की वित्तीय सब्सिडी के साथ 230.00 लाख रुपये की लागत से हाई-टेक हब की स्थापना की और गन्ना हार्वेस्टर, इनफील्डर, ट्रॉली के साथ ट्रैक्टर, एमबी प्लो, रोटावेटर, ब्रश कटर, चैफ कटर और आटा मिल की खरीद की। किसानों को इन मशीनों की किराये की सेवाएं प्रदान करके और प्रति सीजन 400 एकड़ क्षेत्र को कवर करके, वे अब प्रति सीजन लगभग 17.00 लाख रुपये अर्जित कर रहे हैं।

6. राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन (एनबीएचएम)

श्री देवव्रत शर्मा, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश ने 2 नवंबर, 1991 को 30 मधुमक्खी कालोनियों के साथ मधुमक्खी पालन की यात्रा शुरू की। एनबीबी से जुड़ने के बाद, उन्होंने वैज्ञानिक तरीके से मधुमक्खी पालन करना शुरू किया और समेकित बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच) और राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन (एनबीएचएम) जैसी योजनाओं के तहत लाभान्वित हुए। अब उनके पास 1000 मधुमक्खी कालोनियाँ हैं और वे प्रति वर्ष 30 मीट्रिक टन शहद का उत्पादन करते हैं। वह शहद और बीज़वैक्स, रॉयल जेली, बी पोलन और प्रोपोलिस जैसे संबद्ध उत्पाद बेचकर प्रति वर्ष 8.15 लाख रुपये की शुद्ध आय अर्जित कर रहे हैं। उन्होंने देश भर में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से 1 लाख से अधिक लोगों को प्रशिक्षित भी किया है। वे प्रशिक्षित मधुमक्खी पालक न केवल आर्थिक रूप से सक्षम हैं बल्कि हजारों लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं।

7. सुव्यवस्थित खेती के लिए ड्रोन

- फ्यूज़लेज इनोवेशन, अलाप्पुझा, केरल
- परियोजना लागत: 10 लाख रुपये
- ऋण राशि: 7.50 लाख रुपये
- ऋण देने वाली संस्था: बैंक ऑफ बड़ौदा
- प्रभावी ब्याज दर: 5.60%

• निवल लाभ: एक साल में लगभग 10 लाख रुपये

8. मृदा स्वास्थ्य कार्ड

1.	किसान का नाम		पल्ला लक्ष्मा रेड्डी, सुपुत्र भगवंता रेड्डी
2.	गाँव, जिला		मंथापुरी (वी), अलायर (एम), यदाद्रिभोंगिर (डी)
3.	खेती की गई फसल		धान
4.	एसएचसी प्राप्त होने से पहले खुराक (प्रति एकड़)।	एन	150 कि.ग्रा
		पी	100 कि.ग्रा
		के	50 कि.ग्रा
		सूक्ष्म पोषक तत्व	-
5	एसएचसी के माध्यम से मृदा की जानकारी प्राप्त होने के बाद खुराक (प्रति एकड़)।	एन	100 कि.ग्रा
		पी	20 कि.ग्रा (डीएपी)
		के	30 कि.ग्रा
		सूक्ष्म पोषक तत्व	प्रत्येक 3 सीज़न के लिए $ZnSO_4$ 20 किग्रा/एकड़
6.	एन-उर्वरक की बचत (किलो/एकड़)		50 कि.ग्रा
7.	उर्वरक उपयोग में वृद्धि (किग्रा/एकड़)	पी	
		के	
		सूक्ष्म पोषक तत्व	प्रत्येक 3 सीज़न के लिए $ZnSO_4$ 20 किग्रा/एकड़
8.	एसएचसी प्राप्त होने से पहले एन:पी:के		150:100:50
9.	एसएचसी प्राप्त होने के बाद एन:पी:के		100:20:30
10.	एसएचसी प्राप्त होने से पहले उपयोग की गई खाद/एफवाईएम/वर्मीकम्पोस्ट/शहरी खाद की मात्रा (क्विंटल/एकड़)		शून्य
11.	एसएचसी प्राप्त होने के बाद प्रयुक्त खाद/एफवाईएम/वर्मीकम्पोस्ट/शहरी खाद की मात्रा (क्विंटल/एकड़)		20
12.	खाद/एफवाईएम/वर्मीकम्पोस्ट/शहरी खाद उपयोग में अंतर (क्विंटल/एकड़)		20
13.	खेती की लागत (रुपये)		25000/-
14.	उत्पादन में वृद्धि (किग्रा/एकड़)		200
15.	किसान की आय में वृद्धि (रु./ एकड़)		लगभग 6200/-

*****